उत्तराखण्ड शासन

परिवहन अनुभाग–1

अधिसूचना

11 जनवरी, 2019 ई0

संख्या 53/IX–1/166(2004)/2019–शासन के अधिसूचना संख्या 619/IX/116/2005, दिनांक 17 जनवरी, 2005 द्वारा केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, सन् 1988 यथा संशोधित अधिनियम, सन् 2000) की धारा 67(1) (घ) (1) के अधीन एवं उक्त अधिनियम की धारा 68 के अन्तर्गत गठित राज्य परिवहन प्राधिकरण को मंजिली, ठेका गाड़ी तथा माल वाहन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बसों) के किराये और माल भाड़े की दरों को निर्धारित मानकों के अनुरूप नियत किए जाने हेतु नामित किया गया था।

2. उक्त के क्रम में परिवहन विभाग के शासनादेश संख्या–215/IX/116/2005, दिनांक 02 मई, 2005 द्वारा उत्तरांचल परिवहन निगम के कार्मिकों के महंगाई भत्ते एवं डीजल के मूल्यों में वृद्धि होने पर निगम द्वारा स्वतः निगम की बसों में किराये में वृद्धि करने का शासन द्वारा निर्णय लिया गया।

3. अतः उपरोक्त के क्रम में परिवहन विभाग के उक्त शासनादेश संख्या–215/IX/116/2005, दिनांक 02 मई, 2005 को निरस्त करते हुए, केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, सन् 1988 यथासंशोधित अधिनियम सन् 2000) की धारा 67(1)(घ)(1) के अधीन एवं उक्त अधिनियम की धारा 68 के अन्तर्गत गठित राज्य परिवहन प्राधिकरण को मंजिली, ठेका गाड़ी तथा माल वाहन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बसों) के किराये और माल भाड़े की दरों को निर्धारित मानकों के अनुरूप नियत किए जाने हेतु नामित करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

शैलेश बगौली,

सचिव।

टिप्पणी–राजपत्र, दिनांक 23–02–2019, भाग 1 में प्रकाशित।

[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित—]

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 12/परिवहन/147–06–03–2019–100 (कम्प्यूटर/रीजियो)।